पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :–184/2021

1. मनोहरलाल पुत्र हनुमानराम जाति बिशनोई निवासी 8 बी.डी. खाजूवाला।
2. कनीराम पुत्र हनुमानराम जाति बिशनोई निवासी 8 बी.डी. खाजूवाला।

..... प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री सीताराम तेतरवाल अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

आदेश दिनांक :–11.10.2022

यह प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है प्रार्थीगण के नाम से वाके चक 8 बी.डी. बी तहसील खाजूवाला के मु0नं0 153/43 के किला नं0 1 ता 17 सालम, 23 ता 25 की कुल 4.9821 है0 कमाण्ड व मु0नं0 153/44 के किला नं0 4 ता 6, 8, 13, 15 व 16, 18, 23 में तादादी 2.2761 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड व मु0नं0 153/45 के किला नं0 1, 2 व 16 ता 25 की 2.9083 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड व 153/60 के किला नं0 22 ता 25 की 1.0116 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड इसप्रकार कुल तादादी 11.1781 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि खातेदारी शुदा है, जिसका खाता विभाजन प्रार्थीगण ने करवा लिया है। उक्त रकबा के राजस्व रिकॉर्ड में जमाबन्दी प्रविष्टि के समय सहवन व लिपिकीय त्रुटि से प्रार्थीगण का नाम मनोहरलाल, कनीराम पिसरान हनुमानराम के बजाय मनोहरलाल, कानीराम पिसरान हड़मानाराम दर्ज हो गया, जो गलत है। प्रार्थीगण ने राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कर सहवन से लिखा गया प्रार्थीगण का नाम मनोहरलाल पुत्र हड़मानाराम व कानीराम पुत्र हड़मानाराम के बजाय मनोहरलाल पुत्र हनुमानराम व कनीराम पुत्र हनुमानराम दर्ज किये जाने के आदेश करने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट पत्रांक 1802 दिनांक 7.1.22 प्राप्त हुई जिसमें तहसीलदार खाजूवाला ने लिखा है कि शुरू से वर्तमान तक रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि खातेदारान का सही नाम मनोहरलाल व कनीराम पुत्रान हनुमानराम जाति बिश्नोई निवासी चक 9 बी.डी. सही है और वर्तमान रिकॉर्ड में शुद्धि की जानी अपेक्षित है। उक्त भूमि पर किसीप्रकार का विवाद नहीं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:11:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थनापत्र को साबित करने के पक्ष में आधारकार्ड, चुनाव परिचयपत्र, राशनकार्ड, मूलनिवास, बैयनामा आदि की छायाप्रति पेश की जिनमें प्रार्थीगण का सही नाम मनोहरलाल पुत्र हनुमानराम व कनीराम पुत्र हनुमानराम अंकित है। बहस

सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है प्रार्थीगण का उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड अंकन में लिपिकीय त्रुटि से प्रार्थीगण का नाम मनोहरलाल पुत्र हनुमानराम व कनीराम पुत्र हनुमानराम के बजाय मनोहरलाल, कानीराम पिसरान हड़मानाराम गलत दर्ज हो गया। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को साक्ष्य/सबूत के तौर पर साबित करते हैं इसलिए प्रार्थीगण का नाम व पिता का नाम दुरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र तहसीलदार रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट व धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि प्रार्थीगण की उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम मनोहरलाल, कानीराम पिसरान हड़मानाराम की जगह मनोहरलाल पुत्र हनुमानराम व कनीराम पुत्र हनुमानराम नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेशित की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:11:24 IST
Reason: SelfAttested